

महिला होमगार्डों को मलिंगा मातृत्व अवकाश

चर्चा में क्यों?

28 नवंबर, 2023 को उत्तराखण्ड राज्य शासन की ओर से अन्य वभिगों की तरह ही महिला होमगार्डों को मातृत्व अवकाश दये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अब महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मलिंगा।

प्रमुख बदि

- वदिति हो क अब तक प्रदेश में होमगार्डों को मातृत्व अवकाश की सुवधि नहीं थी, लेकनि हाल ही में आईजी केवल खुराना की ओर से पुलसि और अन्य सरकारी वभिगों में तैनात महिला कर्मचारियों की तरह महिला होमगार्डों के लये भी शासन से मातृत्व अवकाश की सफिरशि की गई थी।
- राज्य शासन ने आईजी केवल खुराना की सफिरशि को गंभीरता से लये है। अपर मुख्य सचवि राधा रतूड़ी ने महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश प्रदान करने की अनुमति दे दी है।
- प्रदेश में छह हज़ार से अधकि महिला और पुरुष होमगार्ड हैं। आईजी केवल खुराना की ओर से लगातार होमगार्डों को हाईटेक बनाने और पुलसि की तरह ही सुवधि मुहैया कराई जा रही है।
- मातृत्व अवकाश के दौरान महिला होमगार्डों का वेतन नहीं कटेगा। उन्हें मातृत्व अवकाश का पूरा वेतन दये जाएगा। इसके अलावा मातृत्व अवकाश के दौरान उच्चाधिकारी महिला होमगार्ड के कुशलक्षेम की भी जानकारी लेंगे।

